

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th September, 1981

G.S.R. 912.—In the notification of the Governor of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. G. S. R. 290 (E), dated the 13th April, 1981 Published at pages 655-657 of the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3 Sub-section (i), dated the 13th April, 1981 :—

(A) On page 656—

(i) in rule 3 (b), for "following sub-rule be", read "following sub-rule shall be";

(ii) in rule 4 (b), for "A. 15.07", read "A.15.01";

(B) On page 657, in rule 4 (d), for "The Bhatti Katha be", read "The Bhatti Katha shall be".

[No. P. 15014/9/77-PH (F&N) PFAJ
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.]

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1981

सां.कां.निं. 913.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मद्रास), नियमावली 1973 के नियम 1 के उपनियम 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू करती है, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधिभाग, रोयापुरम

उत्तर में मनाली रोड वाले संगम से शुरू होने वाली शहरी सीमा से इसके साथ-साथ उत्तरपूर्व की ओर समुद्रतट वाले इसके संगम तक चले; समुद्रतट के साथ-साथ दक्षिण की ओर इब्राहिम जी साहब स्ट्रीट वाले इसके संगम तक चले, इब्राहिमजी साहिब स्ट्रीट ब्रोल्ड जेल रोड-वासिन शिव रोड के साथ-साथ पश्चिम की ओर बाकिपम नहर वाले इसके संगम तक चले; नहर के साथ-साथ उत्तर की ओर मनाली रोड वाले इसके संगम तक चले, तब तक के साथ-साथ उस स्थान तक पहुँचे जहाँ से चले थे।

[संख्या एस० 11026/1/81-के०सं०स्वा०यो०डिस्क-1]
के० एस० भाटिया, धवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 1981

G.S.R. 913.—In pursuance of sub-rule (3) rule of the Central Government Health Scheme (Madras) Rules, 1973, the Central Government hereby extends the said rules to the following areas, namely:—

CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DISPENSARY, ROYAPURAM

On the north, city limit commencing from its junction with Manali Road, proceed Northeast along the city boundary upto the junction with the sea-coast, proceed south along the sea-coast upto its junction with Ebrahimji Sahib Street; proceed west along Ebrahimji Sahib Street-Old Jail Road—Basin Bridge Road upto its junction with Buckingham Canal proceed north along the canal upto its junction with Manali Road, proceed along the Road to reach the starting point.

[No. S-11026/1/81-CGHS Desk I]
K. L. BHATIA, Under Secy.]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1981

सां.कां.निं. 914.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 के 25) के परिच्छेद 29 के उप-परिच्छेद (1)

के द्वारा प्रभाव किये गए अधिकांशों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 1958 का संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जाय।

(2) वे 1-8-1981 से कार्यान्वित होंगे।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1958 में (जिसे इसके बाद कथित अधिनियम कहा गया है) अधिनियम 2 में :—

(1) खण्ड (ब) के बाद निम्नलिखित खण्ड प्रविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(बब) "मूल नियम" का अर्थ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले मूल नियम हैं;

(दब) "सामान्य वित्त नियम" का अर्थ वित्तीय व्यवस्था और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्मित सामान्य वित्त नियम, 1963 है;

(2) खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित खण्ड प्रविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ज)" "पूरक नियम" का अर्थ सरकारी कर्मचारियों पर लागू पूरक नियम हैं और मूल नियम के अधीन हैं;

(क) "राजकोष नियम" का अर्थ केन्द्रीय सरकार के राजकोष नियम हैं।

3. कथित विनियम के विनियम 4 में :—

(1) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(3) सचिव संस्थान की माधुरण बैठक के लिए बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व सदस्यों को स्वार, निवे और समय बतलाते हुए एक अधिसूचना देगे और डाक द्वारा भेजने पर डाक प्रमाण-पत्र के संलग्न भेजेंगे। बैठक की अधिसूचना के माघ कार्यसूची भी भेजी जायेगी और जहाँ यह संभव नहीं है, बैठक में कम से कम दस दिन पूर्व कार्यसूची भेजी जाएगी, जो डाक द्वारा भेजने पर डाक प्रमाण-पत्र के संलग्न भेजी जाएगी।

(2) उप विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(9) बैठक के पहले या इसी अवधि में किसी भी समय अध्यक्ष

(1) कार्यसूची के नये प्रस्ताव (2) कार्यसूची में पहले से सम्मिलित प्रस्तावों में पूरक प्रस्ताव सम्मिलित कर सकते हैं; और इन प्रस्तावों को भी विचारार्थ लिया जाएगा।"

4. कथित विनियमों के विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"शांसी सभा का गठन"

5. शांसी सभा निम्नलिखित ग्यारह (11) सदस्यों के निर्मित होगी, अर्थात् :—

(अ) संस्थान का अध्यक्ष	सभापति
(ब) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक	परेर पदर
(ग) वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य

(ब) निदेशक, अखिल भारतीय प्रायुर्विज्ञान संस्थान—सदस्य

(ग) संस्थान के लिए चुने हुए संभव के तीन सदस्यों में से संस्थान के सदस्यों के द्वारा चुना हुआ एक सदस्य।

(र) संस्थान के सदस्यों में से ही चुने जाने वाले छः सदस्यः—

5. कथित विनियमों के विनियम 7 में से "और अनुसूची 1 में अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य के रूप में", शब्द और श्रृंखला हटा कर दिये जायेंगे।

6. कथित विनियमों के विनियम 8 में,

(1) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

"(1) अपने कार्य के संचालन के लिए सभापति जितनी बार आवश्यक समझे उतनी बार शासी सभा की बैठक हो सकेंगी, किन्तु साधारणतया यह बैठक सभापति के द्वारा निर्दिष्ट स्थान, दिनांक और समय पर तीन महीने में एक बार होगी।

(2) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थातः—

"(3) शासी सभा के कम से कम छः सदस्यों के द्वारा या सभापति के द्वारा लिखित मांग पर शासी सभा की असाधारण बैठक बुलाई जायेगी",

(3) उप-विनियम (6) में "चार सदस्य" शब्दों के स्थान पर "पांच सदस्य" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. कथित विनियमों के विनियम 10 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

"(3) उप-विनियम (2) में उल्लिखित के प्रतिरिक्त शासी सभा और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों और सभापति के विषय में, यात्रा भत्ता और वैयक्तिक भत्ते का भुगतान जहाँ बरों पर किया जायेगा, जिनके लिए वे उस संगठन के नियमों के आधार पर जिनमें वे कार्य कर रहे हैं, या पूर्वानु 190 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित और उसके अन्तर्गत कार्यकारी निर्णयों तथा आदेशों के नियमों के अनुसार, जो भी अधिक हो, के अधिकृत होंगे"

8. कथित विनियमों के विनियम 12 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

"(1) स्थान, नियम 6 में वर्णित स्थायी वित्त समिति के प्रतिरिक्त एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और सात अन्य सदस्यों से अनेक से निर्मित अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के अनुसार अन्य स्थायी समितियाँ गठित कर सकता है। निदेशक प्रत्येक समिति के सदस्य और पदेन सचिव रहेंगे।

प्रत्येक समिति के सभापति और उप-सभापति तथा अन्य सदस्य संस्थान के द्वारा नामित होंगे।

9. कथित विनियमों के विनियम 24 के उप-विनियम (1) में, और "चिकित्सा अधीनस्थ" शब्द हटा कर दिये जायेंगे।

10. कथित विनियमों के विनियम 27 में, "नसोक्षित अवकाश नियम, 1933" शब्दों और श्रृंखला के स्थान पर दोनों स्थानों जहाँ पर यह पाये हैं, "केन्द्रीय अतिरिक्त सेवा (अवकाश) नियम, 1972" शब्द और श्रृंखला प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) प्रथम उपबन्ध में, "प्रधान, 1 वर्षों की अवधि के 1 सित" शब्द तथा श्रृंखला हटा कर दिये जायेंगे।

11. कथित विनियमों के विनियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

"(28) पेंशन और अंशदायी भविष्य-निधि।

(1) संस्थान में हस्त सेवा पर प्रतिनियुक्त के प्रतिरिक्त, संस्थान के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 12-9-75 को या इसके बाद हुई है और ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस तिथि के पूर्व हुई है, किन्तु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सामान्य भविष्य-निधि और पेंशन सम्बन्धी मामलों को विशेष रूप से जुना है, वे सामान्य भविष्य निधि, (केन्द्रीय-सेवाएं) नियम, 1960 और केन्द्रीय अतिरिक्त सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे।

(2) स्थान में हस्त सेवा पर प्रतिनियुक्त के प्रतिरिक्त संस्थान के कर्मचारी और जिनको 12 सितम्बर, 1975 से पूर्व नियुक्त किया गया था तथा जिन्होंने विशेष रूप से सामान्य भविष्य-निधि और पेंशन मामलों को नहीं जुना था, समय-समय पर संशोधित संस्थान के अंशदायी भविष्य-निधि नियमों के द्वारा शासित होंगे।"

12. कथित विनियमों के विनियम 30 के बाद, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थातः—

"30म. निदेशक के कार्यकाल की शर्तें:

इन विनियमों में अतिरिक्त किसी बात के न होने पर, प्रा. संस्थान की यह धारणा है कि, ऐसा करना आवश्यक दिवस में है जो उसे लिखित में तीन माह से अग्रिम के नोटिस या इसके स्थान पर तीन माह का वेतन और भत्ते वेकर कार्यकाल को समाप्ति के पूर्व ही किसी भी समय निदेशक के कार्यकाल को समाप्त करने का अधिकार है। लिखित में तीन माहों से न्यून के नोटिस को संस्थान को वेकर निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय पर के त्याग करने का अधिकार निदेशक को भी होगा।"

13. अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के लिए निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित होंगी, अर्थातः—

अनुसूची-1

देखिये विनियम 3, 6 तथा 11

अधिकारों की सीमा

क्र० सं० अधिकारों का स्वरूप	निदेशक	अध्यक्ष	शासी सभा	संस्थान सभा	अध्यक्ष
1	2	3	4	5	6
1. स्वीकृत प्राय-व्ययक से निधि के पुनर्वित्तियोग के अधिकार	पूर्ण अधिकार	—	—	—	पुनर्वित्तियोग पर किसी भी प्रतिवेदन की उत्तरवर्ती बैठक में शासी सभा के समक्ष अनुमोदन के लिये रखा जायेगा

1	2	3	4	5	6	7
2.	(अ) सार्वजनिक बन के भण्डार के गैरबसूली योग्य मूल्य की जाससाजी इत्यादि के कारण होने वाली क्षति को बढ़ेबाढ़ में डालना। (ब) राजस्व या गैरबसूली योग्य पैशगी की क्षति। (स) भण्डार के मूल्य में स्पृणताएं और मूल्य ह्रास।	प्रत्येक विषय में 2000 रु० तक	प्रत्येक विषय में 10,000 रु० तक	प्रत्येक विषय में 20,000 रु० तक	पूर्ण अधिकार	
3.	(1) आकस्मिक व्यय (2) या भण्डार और लेखन सामग्री की खरीद तथा फार्मों के मुद्रण पर व्यय का करना।	स्वीकृत भाय— व्यय के भीतर पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
4.	भवन के रखरखाव और छोटे-मोटे निर्माण	प्रत्येक विषय में 20,000 रु०	प्रत्येक विषय में 50,000 रुपये	पूर्ण अधिकार	—	—
	(अ) मूल निर्माण और विभेय सरम्मत	अधिकतम एक लाख प्रति वर्ष के अधीन।	अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष के अधीन।			
	(ब) साधारण सरम्मत	सबु सरम्मतों (वर्षिक सरम्मत नहीं) के लिये पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
	(स) आधिक सरम्मत	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
5.	बसूली-योग्य पैशगियां स्वीकृत करने का अधिकार	अपने सिवाय सभी निदेशक के विषय में अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में पूर्ण अधिकार।		—	—	—
6.	अंशदायी सामान्य अविष्य निधि से पैशगियां अन्तिम निकासी स्वीकृत करने का अधिकार।	अपने सिवाय सभी निदेशक के विषय में अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में पूर्ण अधिकार।		—	—	—
7.	लेखों से सम्बन्धित कार्यालय अभिलेखों को नष्ट करना।	सौ० मू० नि० की परिशिष्ट 13 में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।	—	—	—	—
8.	संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को महीने के अन्तिम कार्य-दिनस में भुगतान करने के लिये निर्देशित करने का अधिकार जबकि अनुवर्ती माह के प्रथम चार दिन सार्वजनिक अवकाश के हों।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
9.	स्थापना के अन्तर्गत वेतन और पूर्ण अधिकार भर्ती की तीन माह से अन्तिम किसी भी अवधि के लिये रखने के आदेश देने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	अस्थायी रिक्तियों में अधिवर्षता प्राप्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति देना।	60 वर्ष की आयु तक वर्ग "ग" के कर्मचारियों के विषय में पूर्ण अधिकार, एक बार में एक वर्ष।	60 वर्ष की आयु तक वर्ग "ख" के अधिकारियों के विषय में पूर्ण अधिकार, एक बार में एक वर्ष।	---	---	---
11.	संस्थान के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक रचना।	'ग' वर्ग के अधिकारियों के विषय में पूर्ण अधिकार।	'ख' वर्ग के अधिकारियों के विषय में पूर्ण अधिकार।	---	---	---
12.	सबसे छोटे या सबसे सस्ते के प्रतिरिक्त किसी भी मांग से मील-मिल को अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार यदि मांग का व्ययन संस्थान के हित में है।	---	---	---	---
13.	'ब' वर्ग के कर्मचारियों को अगले उच्चतर श्रेणी के रेल भिरामे को प्राप्त करने को अनुमति देना जबकि वह ऐसी रेलगाड़ी में अधिकारी के साथ है जिसमें द्वितीय श्रेणी नहीं है।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---
14.	यह निर्णय करना कि क्या कोई अनुपस्थिति विशेष सेवा के अन्तर कार्य पर अनुपस्थिति है।	वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए पूर्ण अधिकार और अन्य विषयों में एक माह के लिए।	वैयक्तिक के प्रतिरिक्त सभी विषयों में एक माह से परे के लिये पूर्ण अधिकार।	---	---	---
15.	किसी सार्वजनिक या निगम के परिवहन में यात्रा करते हुए वर्ग "ग" और वर्ग "ब" के कर्मचारियों के द्वारा दैनिक भत्ते से मील भत्ते के विनियम पर पाबन्दियाँ लगाना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---
16.	स्वयं अपने और अन्य कर्मचारी-बन्धु के यात्रा भत्तों के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---
17.	पूरक नियम 209 के प्रावधान (नों) को छोड़ना और अवकाश के साथ छुट्टियों के संयुक्तन के विषय में पूरक नियम 211 से विचलन को प्राधिकृत करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---
18.	(1) आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार	निदेशक का आकस्मिक अवकाश	---	---	---
	(2) अवकाश की स्वीकृति।	वर्ग "ख", "क", "ब" के लिए पूर्ण अधिकार, और वर्ग "ग" के लिए 4 सप्ताह से अधिक नहीं।	वर्ग 'क' के लिए 4 सप्ताह से अधिक के लिए पूर्ण अधिकार, और निदेशक के विषय में पूर्ण अधिकार।	---	---	---
	(3) विशिष्ट अवकाश अवकाश	---	पूर्ण अधिकार	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
19. यह निर्देशित करना कि जो अधिकांश अवकाश पर हैं वह आवास को कब्जे में रखता हुआ समझा जायेगा।	मूल प्रतिनियुक्ति की अवधि या स्वीकृत अवकाश की अवधि के लिए पूर्ण अधिकार	---	पूर्ण अधिकार	---	---	
20. भाषास का प्राबल्य	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---	
21. पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार (नियम 7 के अधिन)।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---	
(1) सर्वप्रथमी	वर्ग 'ख' 'ग' और 'घ' वर्गों के लिए पूर्ण अधिकार। प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के लिए एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं।	संकाय पदों के अतिरिक्त 'क' वर्ग के सभी पदों के लिए पूर्ण अधिकार। प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के लिये एक वर्ष से अवधि तक तथा प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि तक।	---	---	---	
(2) स्थायी	वर्ग 'ग' और 'घ' के पद।	वर्ग 'ख' के पद	वर्ग 'क' के पद।	---	---	
22. परीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद वर्ग 'क' और 'ख' के अधिकारियों को स्थायी करने का अधिकार।	निदेशक के विषय के अतिरिक्त पूर्ण अधिकार।	---	---	---	---	
23. संस्थान के वर्ग 'ख' के कर्मचारियों के त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	---	---	---	---	
24. वर्ग 'क' के कर्मचारीवृन्द के त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार	प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के विषय के अतिरिक्त सभी वर्ग 'क' के अधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।	निदेशक, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के विषय में पूर्ण अधिकार।	---	---	निदेशक के विषय में संस्थान सभा द्वारा संपुष्टि के अधीन।	
25. संस्थान के अधिकारी बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कर्मशालाओं, संगोष्ठियों इत्यादि में भाग लेने या अल्पकालिक नियत कार्यों के लिए, जब विदेश जा रहे हों तब उन्हें अनुमति देने का अधिकार।	प्रकार विशेष के देय और स्वीकार्य अवकाश के आधार पर 30 दिनों की अवधि तक संबंधित संकाय सदस्यों द्वारा और बैठक इत्यादि के आयोजकों से उचित निमन्त्रण प्राप्त करने पर निदेशक के विषय के अतिरिक्त पूर्ण अधिकार।	30 दिनों की अवधि के पर कर्मचारीवृन्द के विषय में पूर्ण अधिकार और निदेशक के द्वारा पूर्ण अधिकार।	---	---	समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन।	

1	2	3	4	5	6	7
26.	संघाय सदस्यों के द्वारा विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, मेमोरान्डों इत्यादि में भाग लेने के निम्न अनुपस्थिति का काम पर मानने का अधिकार।	यात्रा सहित अधिकतम 15 दिनों तक के लिए पूर्ण अधिकार।	15 दिनों की अवधि के परे पूर्ण अधिकार।	—	—	समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अधीन।
27.	कर्मचारियों के अन्यत्र नियुक्त होने पर संस्थान में पुनर्स्थापनाधिकार रखने का अनुमति का अधिकार।	वर्ग "ग" और "घ" के पदों के लिए अधिकतम 2 वर्षों तक—एक बार में एक वर्ष पूर्ण अधिकार।	वर्ग "ख" के पदों के लिए पूर्ण अधिकार।	वर्ग "क" के पदों के लिए पूर्ण अधिकार।	—	—
28.	सामान्य नियम के अन्तर्गत संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के नियत करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
29.	संस्थान के अधिकारियों को संस्थान के कार्य के सम्बन्ध में विदेश जाने के लिए अनुमति देने और अनुपस्थिति को काम पर मानने का अधिकार।	30 दिनों तक पूर्ण अधिकार बसते संस्थान के कार्य के संबंध में व्यतीत अवधि को काम पर मानने के प्रति-रिक्त कोई वित्तीय भार नहीं हो।	30 दिनों की अवधि के परे पूर्ण अधिकार।	—	—	समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अधीन।
30.	3 वर्षों से अधिक अवधि के लिये अनुसंधान अनुदान स्वीकार करने का अधिकार।	भारत सरकार की सामान्य नीति के अधीन पूर्ण अधिकार।	—	—	—	—
31.	केन्द्रीय राज्य सरकार के प्रति-नियुक्तों के विषय में जहाँ पर सामान्य स्वरूपों की शर्तें हों, इतर सेवा की शर्तों को स्वीकार करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
32.	वरिष्ठ रेजिस्ट्रार, ट्यूटर्स के कार्यकाल की वृद्धि की स्वीकृति का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	—
33.	अध्ययन समिति की सिफारिशों पर अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार करने का अधिकार।	तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों तक के लिए पूर्ण अधिकार।	तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों के परे पूर्ण अधिकार।	—	—	—
34.	मु० नि० 27 के अन्तर्गत संस्थान में नियमित पदों में नियुक्ति पर अनुसंधान परियोजनाओं के कर्म-चारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि मंजूर करने का अधिकार।	प्रत्येक विषय को गुण-बोध के आधार पर पूर्ण अधिकार।	—	—	—	—
35.	जहाँ पर प्राप्ति होने वाला निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक भत्ते के रूप में है और कोई मानदेय निहित नहीं है पूरक नियम 12 के प्रावधान को शिथिल करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—	समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अधीन।

अनुसूची

(जैसा समय-समय पर भारत सरकार के मूल नियमों के अन्तर्गत जैसा संशोधन हे)

क्र० सं०	अधिकार का स्वरूप	अधिकार की सीमा			अभ्युक्ति
		निर्देशक	अध्यक्ष	शासी सभा	
1	2	3	4	5	6
36.	संस्थान के किसी कर्मचारी को सचिवालय कर्मचारी होने के लिए घोषित करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
37.	पुनर्ग्रहणाधिकार को निलम्बित करना।	पूर्ण अधिकार बशर्ते कि जिन पदों पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखा गया है उन पर नियुक्ति करने का उसे अधिकार है।	पूर्ण अधिकार सभी अन्य पदों के लिये।	---	---
38.	संस्थान के किसी कर्मचारी के पुनर्ग्रहणाधिकार को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित करना।	पूर्ण अधिकार बशर्ते कि संबंधित दोनों पदों पर नियुक्ति करने का उसे अधिकार है।	पूर्ण अधिकार सभी अन्य पदों के लिए।	---	---
39.	संस्थान के किसी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित करना।	पूर्ण अधिकार वर्ग "ग" और "घ" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार वर्ग "ख" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---
40.	काम पर माने हुए संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को नियत करना।	पूर्ण अधिकार वर्ग "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---	---
41.	वेतन-वृद्धि के लिये भूसाधारण अवकाश को गिनना।	पूर्ण अधिकार वर्ग "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---	---
42.	स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी के वेतन को घटाने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---	---
43.	मानवैय के अनुदान को स्वीकृत करना और स्वीकार करने की अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार—प्रत्येक विषय में अधिकतम 500 रु० तक के लिये प्रारम्भिक मानवैय के विषय में, यह सीमा एक वर्ष में किसी व्यक्ति को किये गये आधुनिक भुगतान के योग पर लागू होती है। वर्ग "क" और वर्ग "ख" के कर्मचारियों के विषय में मामले को शासी सभा में भेज दिया जायेगा।	---	---	---
44.	किसी कर्मचारी को एक से अधिक पदों को प्रस्थायी रूप से ग्रहण करने, स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करने और गौण पदों के वेतन तथा लिये जाने वाले अतिपूरक भत्ते की राशि को नियत करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इसी प्रकार की श्रेणियों पर लागू नियमों के अन्तर्गत।	---	---	---
45.	प्रशासनिक कर्मचारियों को भुगतान किये गये मूल्य (यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिये) की कोटि को घोषित करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
46.	बो या अधिक मार्गों में से सबसे छोटे या सबसे सस्ते का निर्णय करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
47.	सबसे छोटे या सबसे सस्ते के अतिरिक्त किसी मार्ग के मूल्य भत्ते की अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार बशर्ते कि मार्ग का बयान संस्थान के हित में है।	---	---	---

1	2	3	4	5	6
48.	किसी स्टेशन में यात्रा के प्रारम्भ या अन्त के बिन्दु का निर्णय करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
49.	यह घोषित करना कि संस्थान का कोई कर्मचारी जिसका वेतन 300 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है, स्टीमर में निम्नतम श्रेणी के स्थान का अधिकारी है।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
50.	सन्देश या कठिनाई की स्थिति में, संस्थान के कर्मचारी के स्टीमर में स्थान की श्रेणी के अधिकार को घोषित करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
51.	अवकाश से वापस होने से पूर्व स्वास्थ्य के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र को मांगने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार निदेशक की स्थिति में।	---	---
52.	अधिक रुक जाने को नियमित करने के लिये अवकाश में वृद्धि।	पूर्ण अधिकार बशर्ते कि अवकाश पर रहने वाला अधिकारी वापस आने पर संस्थान के प्रशासनिक नियन्त्रण में होगा।	पूर्ण अधिकार, सभी अन्य विषयों में।	---	---
53.	भारत में इतर सेवा में स्थानान्तरण और इतर सेवा में वेतन नियत करने की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख" "ग" और "ब" के कर्मचारियों के विषय में। मूल और पूरक नियम, भाग वा, के अंक एवं तार संकलन के परिशिष्ट 4 में क्रम सं० 30 के सामने स्तम्भ 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---	---
54.	इतर सेवा से प्रत्यावर्तन से पूर्व अवकाश लेने वाले सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन की तिथि का निर्णय करना।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के पूरक नियमों के अन्तर्गत।					
55.	उस कार्य को जिसके लिये शुल्क प्रस्तुत किया गया है लेने और शुल्क के स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	---	---	---
56.	नियमों के शिथिलन में अधिकारियों के द्वारा वायुयान से यात्रा।	पूर्ण अधिकार। तुरन्त और अवाश्यकता की स्थिति में।	---	---	---
57.	यह घोषित करना कि संस्थान के कर्मचारी के वेतन में सड़क के द्वारा सभी यात्राओं के लिये क्षति-पूर्ति सम्मिलित है।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख", "ग" और "ब" के कर्मचारियों के विषय में।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "क" के कर्मचारियों के विषय में।	---	---
58.	यात्रा में पड़ाव को कम दिनों तक सीमित करने के नियमों से छूट मंजूर करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार। 30 दिनों की सीमा तक।	पूर्ण अधिकार, 30 दिनों की अवधि के पत्र।	---	---
59.	किराये या प्रभार की राशि को नियत करने का अधिकार जहाँ संस्था के किसी कर्मचारी को संस्थान आदि के व्यय पर संचालन का साधन तो प्रदान किया जाता हो किन्तु वह इसके उपयोग या प्रयोग की सभी कीमत वेता है।	पूर्ण अधिकार	---	---	---

1	2	3	4	5	6
60.	जॉब प्रायोग इत्यादि में सम्मिलित होने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को वाला भत्ता स्वीकृत करना और उनकी कोटि नियत करना ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—
61.	यह घोषित करना कि कौन नियन्त्रण अधिकारी होगा और उसके पद-प्रदर्शन के लिये नियम बनाना ।	पूर्ण अधिकार, बशर्ते कि संस्थान का कर्मचारी स्वयं अपना नियन्त्रण अधिकारी घोषित न किया गया हो ।	—	—	—
62.	विशेष प्रयोग प्रवकाश के प्रतिरिक्त छुट्टी मंजूर करना ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—
63.	प्रवकाश स्वीकृत करना जब चिकित्सा बोर्ड ने प्रतिवेदित कर दिया हो कि कर्मचारी के कार्य पर लौटने की स्वस्थता की पर्याप्त धारा नहीं है ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—
64.	सम्बन्ध होने की स्थिति में निश्चय करना कि क्या एक कर्मचारी विशेष प्रवकाश विभाग में सेवा कर रहा है ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—
65.	प्रभृति और भस्वतासी प्रवकाश मंजूर करना ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—
66.	यात्रियों द्वारा साधारणतया प्रयुक्त मार्ग के प्रतिरिक्त अन्य मार्ग से कार्य ग्रहण के समय के प्राकलन करने की अनुमति	पूर्ण अधिकार	—	—	—
67.	अधिकतम 30 दिनों के अन्दर कार्य-ग्रहण का समय बढ़ाना ।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार 30 दिनों के परे ।	—	—
68.	भारत के किसी भी भाग में काम पर जति के लिये संस्थान के कर्मचारी को प्राधिकृत करना	पूर्ण अधिकार, वर्ग "ख", "ग" और "घ" की स्थिति में ।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "क" के कर्मचारियों की स्थिति में ।	—	—
समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के सामान्य विस्तृत नियमों के अन्तर्गत :					
69.	संस्थान के कर्मचारियों की सेवा पंजी में अभिलिखित अन्त-तिथि में लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार, वर्ग "ग" और "घ" के कर्मचारियों की स्थिति में	पूर्ण अधिकार, वर्ग "क" और "ख" के कर्मचारियों की स्थिति में ।	—	—
70.	3 वर्षों से अधिक, किन्तु 6 वर्षों से अधिक नहीं, के वेतन इत्यादि के बकाया के दावों के परीक्षण की स्वीकृति के लिये अधिकार	पूर्ण अधिकार ।	पूर्ण अधिकार, अन्य विषयों में	—	—
71.	निवेशक के प्रतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के विषय में स्थायी पेन्शियाँ स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार, निवेशक के विषय में ।	—	—
72.	प्राकस्मिक व्यय के विषय में धर्मी-नस्ब अधिकारियों की अनुवेश जारी करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार	—	—	—

1	2	3	4	5	6
73	अप्रचलित, प्रतिरिक्त और अनु-पयोगी भण्डार का निपटान।	पूर्ण अधिकार	—	—	संस्थान के द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित कम्पनियन बोर्ड की सलाह पर निवेशक कार्य करेगा।
74.	असाधारण विषयों में संस्थान के कर्मचारियों की स्वीकृत पेशगियों के वापसी भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार, जिन पेशगियों के अनुदान की स्वीकृत के लिए यह सक्षम है बशर्ते कि व्याज वाली पेशगियों के विषय में, वापसी भुगतान की अधिमोक्ष न की गई हो।	मभी अन्य विषयों में।	—	—
75	वाहन की खरीद के लिए पेशगियां मंजूर करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार/स्थायी पदों पर नियुक्त संस्थान के कर्मचारियों के विषय में सा० पि० नि० 199 से 218 नियमों में निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन।	—	—	—
76.	संस्थान से ली गई पेशगी से खरीदी हुई मोटर गाड़ियों के बेचने और स्थानान्तरण को प्राधिकृत करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार, सा० पि० नि० 256 के खण्ड (5) में उल्लिखित विषयों में।	—	—	—
77.	बाईस्क्स की खरीद के लिए पेशगी को संस्थान को वापस करने की किस्तों की संख्या को अधिकतम 24 तक बढ़ाने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार।	—	—	—
78	यात्रा, स्थानान्तरण इत्यादि के लिये संस्थान के कर्मचारियों को पेशगी मंजूर करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार, सा० पि० नि० के 231 से 234 नियमों में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन स्थायी या अस्थायी पदों के धारक संस्थान के कर्मचारियों के विषय में।	—	—	—
79.	जिस मुकदमे में संस्थान एक पार्टी हो उसमें पेशगियों की स्वीकृत करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार।	—	—	—
80	नकदी, भण्डार इत्यादि की अभिरक्षा से भारित, अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले प्रतिभूति बंधपत्र के फार्म को निर्धारित करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार।	—	—	—
81.	महत्वपूर्ण त्यौहारों से पूर्व बेटन से पेशगी मंजूर करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार।	—	—	—
कोषागार के नियमों के अन्तर्गत					
82.	संस्थान के धन की अभिरक्षा से संबंधित नियम 109 (1) के प्रावधानों से विचलन को प्राधिकृत करने का अधिकार।	पूर्ण अधिकार	—	—	—

टिप्पणी :—1. क्रम संख्या 36 से 54 के लिये मूल नियमों में तदनुकूपी प्रावधान देखिये।

2. क्रम संख्या 55 से 68 के लिये पूरक नियमों में तदनुकूपी प्रावधान देखिये।

3. क्रम संख्या 69 से 81 के लिये सामान्य वित्तीय नियमों में तदनुकूपी प्रावधान देखिये।

4. क्रम संख्या 82 के लिये केन्द्रीय कोषागार नियमों के नियम 109 (2) को देखिये।

5. अनुसूची में उल्लिखित क्रम संस्थाओं के द्वारा प्राकृत न हुए कोई भी अंश, विनियम 2 पर परिभाषाओं में उल्लिखित भारत सरकार के नियमों में तदनुकूपी प्रावधानों के द्वारा नियन्त्रित होंगे।

अनुसूची-2

संस्थान में विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति, अनुशासनात्मक और अपीलारी प्राधिकारी

क्रम सं०	पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	केन्द्रीय असेनिक सेवाओं के (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम II के संदर्भ में दंडों को प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारी और वह जिन दंडों को प्रदान कर सकता है।	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	केन्द्रीय असेनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम II के अन्तर्गत दंड
1	2	3	4	5	6
1.	वर्ग 'क' के पद (1) निदेशक	संस्थान (प्र० भा० आयु० सं० के नियम 7 के अधीन)	संस्थान	सभी दंडों के अधीन कि दंड (5) से (9) तक केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं प्रदान किये जायेंगे।	—
	(2) अन्य पद	शासी सभा	(अ) शासी सभा (ब) अध्यक्ष	सभी दंड दंड (1) से (4)	संस्थान शासी सभा
2.	वर्ग 'ख' के पद	अध्यक्ष	(अ) अध्यक्ष (ब) निदेशक	सभी दंड दंड (1) से (4)	शासी सभा अध्यक्ष
3.	वर्ग 'ग' के पद	निदेशक	(अ) निदेशक	सभी दंड	अध्यक्ष
4.	वर्ग 'घ' के पद	निदेशक	(अ) निदेशक (ब), (स) और (द) में नीचे दिये गये के अतिरिक्त, संस्थान के कर्मचारियों के विषय में उपनिदेशक (प्रशामन)। (स) जिकिरसा अधीक्षक प्र० भा० आयु० सं० अस्पताल कर्मचारियों के विषय में। (द) मुख्य संयोजक, डा० राजेन्द्र प्रसाद मेननविज्ञान-केन्द्र और जब और जैसे संस्थान के द्वारा स्थापित अन्य केन्द्रों के प्रधान, संबंधित केन्द्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के विषय में।	सभी दंड दंड (1) से (4) दंड (1) से (4)	अध्यक्ष निदेशक निदेशक

[मि० सं० 1-12/80-81/सा०]

संस्थान के प्राधिकार के द्वारा

एच० डी० टण्डन, निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

New Delhi, the 25th July, 1981

G.S.R. 914.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All-India Institute of Medical Sciences Regulations, 1958, namely:—

1. (1) These regulations may be called the All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall come into force w.e.f. 1-8-1981.

2. In the All India Institute of Medical Sciences Regulations, 1958, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,—

(i) after clause (d) the following clauses shall be inserted, namely:—

“(dd) ‘Fundamental Rules’ mean the fundamental rules as applicable to Central Government Servants;

(ddd) ‘General Financial Rules’ mean the General Financial Rules, 1963 framed by the Central Government for financial management and control;”

(ii) After clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(j) ‘Supplementary Rules’ mean the supplementary Rules as applicable to Government servants who are subject to the fundamental rules;

(k) ‘Treasury Rules’ mean the treasury rules of the Central Government.”

3. In regulation 4, of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) For an ordinary meeting of the Institute a notice specifying the place, date and time of the meeting shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and under a certificate of posting, if sent by post. The agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting under a certificate of posting if sent by post.”

(ii) for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(9) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting (i) fresh items of business; (ii) items supplementary to those included in the agenda; and such items shall also be taken up for consideration.”

4. For regulation 5 of the regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Constitution of the Governing Body.”

5. The Governing Body shall consist of the following eleven (11) members, namely:—

(a) President of the Institute—Chairman.

(b) Director General of Health Services—ex-officio Member.

(c) Representative of the Ministry of Finance—Member.

(d) Director, All India Institute of Medical Sciences.—Member.

(e) One member elected by the members of the Institute from amongst the three members of Parliament elected to the Institute.

(f) Six members to be elected by the members of the Institute from amongst themselves.”

5. In regulation 7 of the said regulations, the words and figure “and in Schedule I as the powers and functions of the Chairman”, shall be omitted.

6. In regulation 8 of the said regulations, (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business but shall ordinarily meet once in a quarter at such place, date and time as may be decided by the Chairman.”;

(ii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) An extraordinary meeting of the Governing Body shall be called on a written requisition by at least six members of the Governing Body or by the Chairman”;

(iii) In sub-regulation (6), for the words ‘Four members’ the words ‘Five members’ shall be substituted.

7. In regulation 10 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) In the case of Chairman and the members of the Governing Body, and of Standing and ad hoc committees other than those mentioned in sub-regulation (2), travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates to which they are entitled as per rules of the organisation in which they are working or those prescribed from time to time by the Central Government under S. R. 190 and the executive decisions and orders thereunder whichever is more.”

8. In regulation 12 of the said regulations, for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) In addition to the Standing Finance Committee referred to in rule 6, the Institute may constitute other Standing Committees in accordance with sub-section (5) of section 10 of the Act, consisting of a Chairman, a Vice-Chairman and not more than seven other members. The Director shall be a member and ex-officio Secretary of each Committee. The Chairman, the Vice-Chairman, and other members of each committee shall be nominated by the Institute.

9. In sub-regulation (1) of regulation 24 of the said regulations, the words and “Medical Superintendent” shall be omitted.

10. In regulation 27 of the said regulations, (i) for the words and figures “Revised leave Rules, 1933”, at both the places where they occur, the words and figures “Central Civil Services (leave) Rules, 1972” shall be substituted;

(ii) in the first proviso, the words and figure “for period of 3 years in the first instance” shall be omitted.

11. For regulation 28 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“(28) Pension and Contributory Provident Fund—

(1) The employees of the Institute, except those on deputation on foreign service to the Institute, appointed on or after 12th Sept. 1975 and such employees as were appointed prior to this date but have specifically opted for the General Provident Fund and Pensionary benefits as applicable to the Central Government employees, shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(2) The employees of the Institute, except those on deputation on foreign service to the Institute and who were appointed before 12th September, 1975,

and have specifically not opted for the General Provident Fund and Pensionary benefits shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules of the Institute as amended from time to time."

12. After regulation 30 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"30A. Terms of office of Director.

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Institute shall, if it is of the opinion that

it is in the public interest to do so, have the right to terminate the term of office of Director at any time before the expiry of his term by giving him a notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu thereof. The Director shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the fixed term by giving to the Institute a notice of not less than three months in writing."

13. For Schedule I and Schedule II, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—I

See Regulations : 3, 6 & 11

Sr. No.	Nature of Powers	Extent of Powers				Remarks
		Director	President	Governing Body	Institute Body	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powers of reappropriation of funds from Sanctioned Budget.	Full powers	—	—	—	Report on any reappropriation shall be placed before the Governing Body for approval at its subsequent meeting
2. (a)	Write off of loss of irrecoverable value of stores of public money due to fraud etc.	Upto Rs. 2000 in each case	Rs. 10,000 in each case	Rs. 20,000 in each case	Full powers	—
(b)	Loss of revenue or of irrecoverable advance.					
(c)	Deficiencies and depreciation in value of Stores.					
3.	To incur (i) contingent expenditure (ii) or expenditure on the purchase of stores and stationery and printing of forms.	Full powers within the sanctioned budget	—	—	—	—
4.	Maintenance of Building and petty works.					
(a)	Original works and special repairs.	Rs. 20,000 in each case subject to maximum of one lakh per year	Rs. 50,000 in each case, subject to a maximum of Rs. 2.5 lakh per year	Full powers	—	—
(b)	Ordinary repairs	Full powers for minor repairs (not annual repairs).	—	—	—	—
(c)	Annual Repairs	Full powers	—	—	—	—
5.	Power to sanction recoverable advances.	Full powers in respect of all officers and employees except himself	In case of Director	—	—	—
6.	Power to sanction advances/ final withdrawal out of the Contributory/General Provident Fund.	Full powers in respect of all officers and employees except himself.	In case of Director	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	Destruction of official records connected with accounts.	Full powers subject to the conditions laid down in Appendix 13 to the G.F.R.	—	—	—	—
8.	Powers to direct the payment on the last working day of a month the pay and allowances of Employees of the Institute where the first four days of the following month are public holidays.	Full powers	—	—	—	—
9.	Power to order the retention of undisbursed pay and allowances of establishment for any period not exceeding three months.	Full powers	—	—	—	—
10.	To sanction the re-employment of superannuated persons in temporary vacancies.	Full powers in the case of Group C employees upto the age of 60 years, one year at a time.	Full powers in the case of group B Officers upto the age of 60 years, one year at a time.	—	—	—
11.	To retain the Institute employees upto the age of 60 years	Full powers in the case of Group C Officers.	Full powers in the case of Group B Officers.	—	—	—
12.	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or the cheapest.	Full powers provided selection of the route is in Institute's Interest.	—	—	—	—
13.	To permit Group 'D' employees to draw next higher class Railway fare when accompanying an officer on train which provides no II Class.	Full powers	—	—	—	—
14.	To decide whether a particular absence is absence on duty within the country.	Full powers for academic purposes and for one month in other cases.	Full powers beyond one month in all cases other than academic.	—	—	—
15.	To impose restrictions on the exchange of daily allowance for mileage allowance by Group 'C' and Group 'D' employees, travelling in a public or hired conveyance.	Full powers	—	—	—	—
16.	To countersign his own travelling allowance bills and those of other employees.	Full powers	—	—	—	—
17.	To waive proviso (a) to supplementary Rule 209 & to authorise departures from Supplementary Rule 211 regarding combination of Holidays with leave.	Full powers	—	—	—	—
18.	(i) Grant of Casual Leave	Full powers	Casual leave of the director	—	—	—
	(ii) Grant of leave	Full powers for Group B, C, D & not more than four weeks for Group 'A'.	Full powers for Group 'A' for more than 4 weeks and full powers in the case of the Director.	—	—	—
	(iii) Special disability Leave	—	Full powers	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
19. To direct that an Officer on leave shall be considered to be in occupation of a residence.	Full powers for the period of original deputation or the period of leave sanctioned.	—	Full powers	—	—	—
20. To allot residence	Full powers	—	—	—	—	—
21. Power to make appointments to posts (subject to Rule 7).	Full powers	—	—	—	—	—
(i) Ad hoc/Temporary	Full powers for Group B, C & D posts. Lecturers and Assistant Professors not exceeding a period of one year.	Full powers for all Group 'A' posts other than Faculty posts. Prof. & Assoc. Prof. for a period not exceeding one year and Lecturers and Asstt. Professors for a period exceeding one year.	—	—	—	—
(ii) Permanent	Group C & D post	Group B posts.	Group A posts	—	—	—
22. Power to confirm Group A & B Officers, after successful completion of the period of probation.	Full powers except in the case of the Director.	—	—	—	—	—
23. Powers to accept resignation of Group B employees of the Institute.	Full powers	—	—	—	—	—
24. Powers to accept resignation of Group A employees.	Full powers in respect of all Group A Officers except in case of Professors and Associate Professors.	Full powers in case of Director, Professors and Associate Professors.	—	—	—	In the case of Director subject to ratification by the Institute Body.
25. Powers to permit the Officers of the Institute while going abroad for attending meetings, conferences, seminars, workshops, symposia etc. or for short assignments.	Full powers except in the case of Director on the basis of leave of the kind due and admissible upto the period of 30 days, and that the faculty members concerned receives proper invitations from the sponsors of the meeting etc.	Full powers beyond a period of 30 days in the case of employees and full powers in respect of Director.	—	—	—	Subject to directions issued by the Central Government from time to time.
26. Powers for treating the absence as on duty for participation in the International scientific conferences/symposia seminars etc. abroad by the members of the faculty.	Full powers upto a maximum of 15 days inclusive of travel.	Full powers beyond a period of 15 days.	—	—	—	Subject to directions issued by the Central Government from time to time.
27. Powers to allow retention of lien in the Institute of employees when they are appointed elsewhere.	Full powers for Group 'C' & 'D' posts upto a maximum of two years. One year at a time.	Full powers for Group 'B' posts.	Full powers Group 'A' posts.	—	—	—
28. Powers for fixation of pay of Institute employees under normal Rules.	Full powers	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
29. Powers to permit the Officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treatment of absence as on duty.	Full powers upto 30 days provided there are no financial implications other than the period spent in connection with the work of the Institute being treated as on duty.	Full powers beyond a period of 30 days.	—	—	—	— Subject to directions issued by Central Government from time to time.
30. Power to accept Research grant if these are for durations not exceeding 3 years.	Full powers subject to the general policy of Government of India.	—	—	—	—	—
31. Power to accept the terms and conditions on foreign service terms in respect of the deputationist of Central/State Government where the terms are of usual nature.	Full powers	—	—	—	—	—
32. Power to grant extension of tenure of Senior Residents/tutors.	Full powers	—	—	—	—	—
33. Power to grant advance increments on the recommendations of the Selection Committee.	Full powers upto three advance increments.	Full powers beyond three advance increments.	—	—	—	—
34. Power to grant advance increment under F.R. 27 to employees of Research Schemes on their appointment to regular posts in the Institute.	Full powers, on the merit of each case.	—	—	—	—	—
35. Power to relax the provision of S.R. 12 where the subsistence allowance to be received is in the nature of daily allowance and no honorarium is involved.	Full powers	—	—	—	—	— Subject to directions issued by the Central Government from time to time.

APPENDIX

(Under the Fundamental Rules of Government of India, as amended from time to time)

Sr. No.	Nature of Power	Extent of Power			Remarks
		Director	President	Governing Body	
1	2	3	4	5	6
36.	To declare an Institute employee to be a ministerial servant.	Full powers	—	—	—
37.	To suspend a lien	Full powers provided that he is authorised to make appointments to the posts on which the lien is held.	Full powers for all other posts.	—	—
38.	To transfer the lien of an Institute employee from one post to another.	Full powers provided that he is authorised to make appointments to both the posts concerned.	Full powers for all other posts.	—	—

1	2	3	4	5	6
39.	To transfer an Institute employee from one post to another.	Full powers in the case of Group C & D employees.	Full powers in case of Group B employees	Full powers in case of Group 'A' employees.	—
40.	Fixation of pay and allowances of an Institute employee treated as on duty under F. R. (9), (6) (b).	Full powers in the case of Group B, C & D employees.	Full powers in the case of Group A employees.	—	—
41.	Counting extra-ordinary leave for increments.	Full powers in the case of Group B, C & D employees.	Full powers in the case of Group A employees.	—	—
42.	Power to reduce the pay of an officiating Government servant.	Full powers in the case of Group B, C and D employees.	Full powers in the case of Group A employees.	—	—
43.	To sanction grant of and to permit acceptance of honorarium.	Full powers upto a maximum of Rs. 500/- in each case. In the case of recurring honoraria, this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a year. In the case of Group A and Group B employees the matter shall be reported to the Governing Body.	—	—	—
44.	Power to appoint an employee to hold temporarily to officiate in more than one post and to fix the pay of subsidiary posts and the amount of compensatory allowance to be drawn.	Full powers subject to rules applicable to similar to classes of Central Government employees.	—	—	—
45.	To declare the grade of fee paid to part time employees (for purpose of T. A.)	Full powers	—	—	—
46.	To decide the shortest or cheapest of two or more routes.	Full powers	—	—	—
47.	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or cheapest.	Full powers provided selection of the route is in Institute's interest.	—	—	—
48.	To decide the point of commencement or end of journey in a station.	Full powers	—	—	—
49.	To declare that an Institute employee whose pay does not exceed Rs. 300/- per mensem, is entitled to lowest class accommodation in a steamer.	Full powers	—	—	—
50.	To declare in case of doubt or hardship the class of steamer accommodation to which an Institute employee is entitled.	Full powers	—	—	—
51.	Power to require a medical certificate of fitness before return from leave.	Full powers	Full powers in the case of Director.	—	—

1	2	3	4	5	6
52.	Extension of leave to cover over-stayal.	Full powers provided that the employees on leave will on return be under the administrative control of the Institute.	Full powers in all other cases.	—	—
53.	To sanction transfer to foreign service in India and to fix the pay in foreign service.	Full powers in respect of Group B, C & D employees, subject to the conditions mentioned in column 5 against Serial No. 30 in appendix 4 of the P & T compilation of Fundamental and Supplementary Rules, Vol. II.	Full powers in respect of Group 'A' employees.	—	—
54.	To decide the date of reversion of Government servant who takes leave before reversion from foreign service.	Full powers	—	—	—

UNDER THE SUPPLEMENTARY RULES OF GOVERNMENT OF INDIA AS AMENDED FROM TIME TO TIME

55.	Power to sanction the undertaking of work for which a fee is offered and the acceptance of a fee.	Full powers	—	—	—
56.	Travel by Air by Officers in relaxation of rules.	Full powers in case of urgency and necessity.	—	—	—
57.	To declare that pay of an Institute employee includes compensation for all journeys by road.	Full powers in the case of Group B, C & Group D employees.	Full powers in case of Group A employees.	—	—
58.	Power to grant exemptions from the rule limiting a halt on tour to ten days.	Full powers upto a limit of 30 days.	Full powers beyond a period of 30 days.	—	—
59.	Powers to fix amount of hire or charges where an Institute employee is provided with means of locomotion at the expense of the Institute etc. but pays all the cost of its use or propulsion.	Full powers	—	—	—
60.	To grant travelling allowance to non-officials attending commission of enquiry etc. and to fix their grade.	Full powers	—	—	—
61.	To declare who shall be controlling officer and to make rules for his guidance.	Full powers, provided an Institute employee is not declared his own controlling officer.	—	—	—
62.	To grant leave other than special disability leave.	Full powers	—	—	—
63.	To grant leave when a medical board has reported that there is no reasonable prospect of the employee being fit to return to duty.	Full powers.	—	—	—

1	2	3	4	5	6
64.	To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacation Department.	Full powers	—	—	—
65.	To grant maternity and hospital leave.	Full powers	—	—	—
66.	To permit calculation of joining time by a route other than that which travellers ordinary use.	Full powers	—	—	—
67.	To extend joining time within a maximum of 30 days.	Full powers	Full powers beyond 30 days.	—	—
68.	Authorizing an Institute employee to proceed on duty to any part of India.	Full powers in case of Group B, C, and Group D	Full powers in the case of Group A employees.	—	—

UNDER THE GENERAL FINANCIAL RULES OF THE GOVT OF INDIA AS AMENDED FROM TIME TO TIME

69.	Powers to alter in the case of clerical errors in the date of birth recorded in the service rolls of Institute employees.	Full powers in case of Group 'C' & 'D' employees	Full powers in the case of Group 'A' and 'B' employees.	—	—
70.	Power to sanction investigation of claims for arrears of pay, etc. which are more than three years but not more than six years old.	Full powers	Full powers in other cases.	—	—
71.	Power to sanction permanent advances in respect of employees other than Director.	Full powers	Full powers in the case of Director.	—	—
72.	Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent expenditure.	Full powers	—	—	—
73.	Disposal of obsolete surplus & Unserviceable stores.	Full powers	—	—	The Director shall act on the advice of the Condemnation Board set up for the purpose by the Institute
74.	Powers to vary the terms of repaying of advances granted to Institute employees in exceptional cases.	Full powers in cases in which he is competent to sanction the grant of advances, provided that in the case of interest bearing advances, the period of repayment not extended.	In all other cases	—	—
75.	Power to sanction advances for purchase of conveyance.	Full powers in the case of Institute employees holding permanent posts, subject to the limits and conditions laid down in Rules 199 to 218 of G.F.R.	—	—	—
76.	Powers to authorise the sale or transfer of motor vehicles purchased with advance from the Institute.	Full powers in cases mentioned in clause (v) of Rule 256 of G. F. R.	—	—	—

1	2	3	4	5	6
77.	Power to extend upto a maximum of 24 the number of Instalments in which an advance granted for the purchase of a bicycle should be repaid to the Institute.	Full powers	—	—	—
78.	Power to sanction advances to Institute employees on tour, transfer etc.	Full powers in case of Institute employees, holding permanent or temporary posts subject to the limits and conditions laid down in Rule 231 to 234 of G.F.R.	—	—	—
79.	Powers to sanction advances for law suit to which Institute is a party.	Full powers	—	—	—
80.	Power to prescribe the form of security bond to be executed by a subordinate authority, entrusted with the custody of cash, stores etc.	Full powers	—	—	—
81.	Power to sanction advances of pay on the eve of important festivals.	Full powers	—	—	—
UNDER THE TREASURY RULES					
82.	Power to authorise a departure from the provisions of the rule 109 (1) relating to custody of Institute money.	Full powers	—	—	—

- NOTES :—1. For serial Nos. 36 to 54 see corresponding provision in Fundamental Rules.
 2. For Serial Nos. 55 to 68 see corresponding provisions in Supplementary Rules.
 3. For Serial Nos. 69 to 81 see Corresponding provisions in General Financial Rules.
 4. For Serial No. 82 see Rule 109 (2) of Central Treasury Rules.
 5. Any points which are not covered by the Serial Nos. mentioned in the Schedule, will be governed by the corresponding provisions in the Government of India Rules mentioned in the definitions at Regulation 2.

SCHEDULE-II

The Appointing, Disciplinary and Appellate Authority for the various Posts in the Institute

Sr. No.	Description of posts	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose with reference to rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965	Appellate Authority	
			Disciplinary Authority	Penalties under rule II of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965	
1	2	3	4	5	6
1.	Group 'A' posts				
	(i) Director	Institute (subject to rule 7 of the AIIMS Rules).	Institute	All subject to condition that penalties (v) to (ix) shall not be imposed without the prior approval of the Central Government.	—
	(ii) Other posts	Governing Body	(a) Governing Body (b) President	All penalties Penalties (i) to (iv)	Institute Governing Body

1	2	3	4	5	6	7
2.	Group 'B' posts	President	(a) President (b) Director	All penalties Penalties (i) to (iv)	Governing Body President	
3.	Group 'C' posts	Director	(a) Director	All penalties	President	
4.	Group 'D' posts	Director	(a) Director (b) Dy. Director (Admn) In the case of Institute employees other than those provided in (c) & (d) below. (c) Medical Superintendent in the case of AIIMS Hospital employees. (d) Chief Organiser, Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, and chiefs of other centres as and when established by the Institute in the case of the employees working in the Centres concerned.	All penalties Penalties (i) to (iv) Penalties (i) to (iv) Penalties (i) to (iv)	President Director Director	

[F. No. 1-12/80-81/Genl]

By the Authority of the Institute

H. D. TANDON, Director All India Institute of Medical Sciences.

कृषि मंत्रालय

(दुध और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1981

सं० का० नि० 915.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के, परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना (अनुसंधान सहायक कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. दिल्ली दुग्ध योजना अनुसंधान सहायक भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में —

क. स्तम्भ 11 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अस्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रतिनियुक्ति पर स्वाभाविकरण

दिल्ली दुग्ध योजना के ऐसे अधिकारियों में से, जो 425-700, 550-750 और 550-800 रु० के वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उक्त स्केल में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और जिनके पास—

1. किसी मायताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या उसके समतुल्य है,
2. जिन्होंने उपयुक्त वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है।
3. सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासनिक प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम या किसी मायताप्राप्त संस्था का सवृष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है या करने के पास है।

स्वच्छीकरण

यदि किसी ऐसे अधिकारी का चयन कर लिया जाता है जिसने उक्त पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उक्त पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करके और उसका उस पद पर

समतार बने रहना इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वह उक्त पाठ्यक्रम को अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[सं० 3-31/78-एलबी I]

के० उपाधिलेखन,
निदेशक बी० बी०

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 22nd September, 1981

G.S.R. 915.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi Milk Scheme (Research Assistant Work Study) Recruitment Rules, 1977 :—

1. These rules may be called the Delhi Milk Scheme Research Assistant (Work Study) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the schedule to Delhi Milk Scheme Research Assistant Recruitment Rules, 1977.
4. In column 11 for the entry the following entry shall be substituted, namely.

Transfer on deputation :

From amongst the officers holding the post in the pay scales of Rs. 425-700, 550-750 and 550-800 with 5 years regular service in the said grade in Delhi Milk Scheme, who shall have :—

1. A degree of an recognised University or its equivalent,
2. rendered at least 5 years regular service in the above scales.
3. Completed successfully or be eligible to undergo the Basic Management Service Course of the